

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारथीन अधिकारी- श्री सी. एन. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 24/18

1- गाराथण-20 श्री गन्दा लाल-जितारी-कवराडिया, तहसील-गाण्डन

—प्राथी

बनाम

1- गन्दा लाल-20 श्री गंतारलाल खण्डित-जितारी-कवराडिया, तहसील-गाण्डन [कीस]

—विपक्षीयण

प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 संयुक्त अधिनियम 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 23.2.18

प्राथी की ओर से एक प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 संयुक्त अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कवराडिया पटवार हल्का कवराडिया तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 1058/2 से 14 बिस्वा कुल कित्ता 0.1 रकबा — बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के शीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन शीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्राथीना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.1.18 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काबूत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकतर अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकतर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्राथी रवीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्राथीना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम उक्त पटवार हल्का उक्त तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर उक्त कुल कित्ता उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त बिस्वा भूमि के चारों तरफ शीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमगारा को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को गेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल भीलवाड़ा